अधिसूचना सं 18/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)      नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि....(अ)  केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 23क के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "निवासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियो के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

स्स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (68) में, "प्राइवेट कंपनी" का है ;

(ख) "निवासी" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खंड (42) में है ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयु]

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार